प्रेस नोट

जनपद- भदोही

दिनांक: 14/08/2026

थाना भदोही पु लस द्वारा सीमांकन की पत्थर गड्डी उखाड़कर फें संग तार चोरी करने वाले वांछित अ भयुक्त को कया गया गरफ्तार, चोरी के 15 सीमेंट पलर और 3 बंडल कटीले तार बरामद।

घटना का सं क्षप्त ववरण

दिनांक 30.07.2026 को वादी अ भमन्यु शाही पुत्र रमाकान्त शाही (निवासी झूसी, प्रयागराज) ने थाना भदोही पर ल खत तहरीर दी क ग्राम पपरिस स्थित उनकी आराजी संख्या 798 पर उपजिला धकारी भदोही के आदेशानुसार राजस्व व पु लस टीम द्वारा सीमांकन व पत्थर गड्डी कराकर पलर व तार फें संग कराई गई थी। दिनांक 28.07.2026 को टीम के जाने के बाद वपक्षीगणों ने एक राय होकर करीब ₹2,00,000 की फें संग तार क्षतिग्रस्त कर दी और सीमेंट के खंभे व कटीले तार चोरी कर ले गए। इस सूचना पर थाना भदोही पर मु0अ0सं0 364/2026 धारा 326(e)/329(3)/351(3)/303(2) बीएनएस व 3/5 लोक संप त्त क्षति निवारण अ धनियम का अ भयोग पंजीकृत कर ववेचनात्मक कार्यवाही प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी व बरामदगी का ववरण*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में वांछित अ भयुक्तों की गरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में, *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण व क्षेत्रा धकारी भदोही के नेतृत्व में आज दिनांक 14/08/2026 को थाना भदोही पु लस टीम द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम पपरीस आधारपुर स्थित अ भयुक्त के घर से वांछित अ भयुक्त चन्दन यादव को गरफ्तार कया गया। गरफ्तार अ भयुक्त की निशांदेही पर फत्तूपुर से मुख्यालय सरपतहा मार्ग पर ग्राम नगुआ के पास झा ड़यों से चोरी कए गए 15 अदद सीमेंट पलर व 03 छोटे बंडल कटीले तार सकुशल बरामद कए गए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। व धक कार्यवाही के उपरांत अ भयुक्त का चालान मा0 न्यायालय कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण*

चन्दन यादव पुत्र केशनाथ यादव, उम्र करीब 22 वर्ष निवासी पपरीस आधारपुर, थाना व जनपद भदोही

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम*

उ0नि0 दिवाकर राय, उ0नि0 तौकीर अहमद, का0 अजय कान्त एवं का0 बृजेश कुमार थाना व जनपद भदोही।